



वित्तीय सेवाएं विभाग
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार

प्रधानमंत्री समर्पित करने जा रहे हैं जीवन एवं दुर्घटना बीमा योजना, जन सुरक्षा के हित में

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

वार्षिक प्रीमियम
सिर्फ 12 रुपये में 2 लाख
रुपये का दुर्घटना बीमा

- समस्त बचत बैंक खाताधारकों के लिए
जिनकी आयु- 18 से 70 वर्ष है.
- बीमा में दुर्घटनाजनित स्थायी विकलांगता
भी शामिल



प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

वार्षिक प्रीमियम
सिर्फ 330 रुपये में 2 लाख
रुपये का जीवन बीमा

- समस्त बचत बैंक खाताधारकों के लिए
जिनकी आयु- 18 से 50 वर्ष है
- आपके बाद, आपके परिवार
को मिलेगी बीमा राशि



बीमा अवधि, वार्षिक: 1 जून - 31 मई

- प्रीमियम की राशि खाताधारक के बचत खाते से बैंक द्वारा 'ऑटो डेबिट' सुविधा के माध्यम से.
- कोई भी व्यक्ति केवल एक बचत खाता द्वारा ही इस योजना के लिए पात्र होगा.

तत्काल अपनी नज़दीकी बैंक शाखा या बैंक मित्र/बीमा एजेंट से संपर्क करें और
आयोजित कैम्पों में जाएं एवं फ़ार्म भरें और इस योजना का लाभ उठाएं

हमारे सहयोगी बैंक एवं बीमा कंपनियों की ओर से

अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर **1800 180 1111** पर कॉल करें या
www.jansuraksha.gov.in/www.financialservices.gov.in पर जाएं.